राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर–302 005

क्रमांक : एफ–9/3(1)/आ.उ./मार्क/2014/पार्ट–III

दिनांक : 31/5/16

:: कार्यालय आदेश ::

राजसिको द्वारा राज्य सरकार के समस्त विभागों, उपक्रमों एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओ में बिना निविदा के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–2 के नियम 30 के एनेक्सचर–A की व्यवस्थानुसार, उद्योग (ग्रुप–2) विभाग राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.11.2003 एवं 04.04.2013 द्वारा गठित समिति की सिफारिश एवं राज्य सरकार के अनुमोदन उपरान्त निम्न आईटमों की दरें निर्धारित की जाती है।

क्र. स.	आईटम	कन्वर्जन चार्ज की अनुमोदित दर
1.	**पॉलिथीन बैग्स :** निविदा की शर्तो के अनुसार कच्चे माल की दर एल.डी.पी.ई. ग्रेन्यूल्स रिलायन्स इंडिया लिमिटेड, अहमदाबाद की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है। अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	रूपये 17,100/– प्रति मै0 टन एवं वेट नियमानुसार पृथक से देय होगा।
2.	**कांटेदार तार :** निविदा की शर्तो के अनुसार कच्चे माल एम.एस. वायर रॉड 8 एम.एम. ग्रेड आई.एस. 7887 की दर राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जयपुर की दरों के आधार पर परिवर्तनीय है। अतः केवल कन्वर्जन चार्ज ही निर्धारित किया जाता है।	(अ) **अनगैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार :** रूपये 15,206/– प्रति मै0 टन एवं वेट नियमानुसार पृथक से देय होगा। (ब) **गैल्वेनाइज्ड कांटेदार तार :** रूपये 23,366/– प्रति मै0 टन एवं वेट नियमानुसार पृथक से देय होगा।

उक्त दरें तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती हैं एवं एक वर्ष अर्थात् दिनांक 30.06.2017 तक या दर निर्धारण समिति द्वारा दरों का पुनः निर्धारण करने तक जो भी पहले हो तक के लिए प्रभावी होगी। अन्य शर्ते निविदा की शर्तो एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियम के प्रावधान अनुसार लागू रहेगीं।

(डी. सी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक, उद्योग

क्रमांक : एफ 9/3(1)/आ.उ./मार्क/2014/पार्ट–III

दिनांक : 31/5/16

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रबन्ध निदेशक राजसिको, जयपुर।
2. सयुक्त शासन सचिव, उद्योग,शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान खादी तथा ग्रामोधोग बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, एम.एस.एम.ई.विकास संस्थान, 22 गोदाम, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, उद्योग
6. अतिरिक्त निदेशक, उद्योग।
7. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग।

31.5.16
(एस. एल. पालीवाल)
उप निदेशक उद्योग